

'गौवंश को रोग मुक्त रखने के लिए संसाधनों की कमी नहीं'

उदयपुर, (कासं)। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कहा है कि पशुधन में फैल रही लंपी बीमारी से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर गौवंश को रोगमुक्त करने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। जिसके अंतर्गत टीकाकरण, दवाईयों का समय पर वितरण, आयुर्वेदिक व होम्योपैथी पद्धति से भी ईलाज कराने, संक्रमित पशुओं को निरोगी पशुओं से पृथक् कर आईसोलेशन सेंटर में उनका उपचार करने सहित विविध गतिविधियां संपादित की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर ने गुरवार अलसुबह बडगांव स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय का दौरा किया। जहां पर जिला प्रशासन, आयुर्वेद विभाग तथा गौ-सेवक समितियों के समन्वित सहयोग से निर्मित आयुर्वेदिक लड्डू गायों को खिलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह औषधीय लड्डू संक्रमित गौवंश को रोगमुक्त करेगा। उन्होंने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि संक्रमित पशुओं को आईसोलेशन में लाएं और उनका बेहतर तरीके से उपचार कर उन्हें निरोगी रखें। इसके लिए बजट और संसाधनों की कोई कमी नहीं है और मांग के अनुसार संसाधन और बजट उपलब्ध किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि हमारी संस्कृति में गौमाता में करोड़ों देवी देवताओं



जिला कलेक्टर ने बडगांव क्षेत्र का दौरा किया।

का वास है। इसलिए जिले के सभी लोग गौमाता को स्वस्थ रखने के लिए आगे आएँ और अपना सहयोग प्रदान करें। इस अवसर पर राजस्थान गौ सेवा समिति के जिलाध्यक्ष कैलाश राजपुरोहित ने बताया कि गौवंश के स्वास्थ्य के लिए हितकारक यह आयुर्वेदिक लड्डू सरसों का तेल, गुड़, हल्दी पाउडर, चारोली, बाजरे का आटा कालीमिच पाउडर, तुलसी

अर्क, सौंठ, सेंधा नमक आदि आयुर्वेदिक जड़ीबूटियों से निर्मित किया जा रहा है। यह औषधीय लड्डू वैद्याचार्य शोभालाल औदित्य के मार्गदर्शन में स्वागत वाटिका सेक्टर 4 में तैयार हो रहे हैं। यह लड्डू संक्रमित गायों के लिए निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस अवसर पर बडगांव सरपंच संजय शर्मा, पंचायत समिति सदस्य भुवनेश व्यास, विकास अधिकारी

नरेंद्र सिंह, स्थानीय वार्ड पंच खुबीलाल गमेती, वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ. दत्तात्रेय चौधरी, सहायक कृषि अधिकारी सुरेश वैष्णव, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ. शोभालाल औदित्य, खुबीलाल व्यास, गेहरीलाल शर्मा, चंद्रप्रकाश जैन, अनिता सोनी, राजेंद्र सिंह राणा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामवासी व पशु चिकित्सालय का स्टाफ मौजूद थे।

कार्यालय खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी भींडरजिला उदयपुर (राज.)

(जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति ब्लॉक भींडर)

Email-bcmo_bhinder@yahoo.com

Phone- 02957250502

क्रमांक- ब्लॉक/NHM/2022-23/

दिनांक:- 08.09.22

खुली निविदा सूचना

इस खंड क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों, बैठकों, प्रशिक्षणों आदि में विभिन्न कार्यों की आवश्यकता होती है। जिस हेतु सर्वसाधारण को सूचित करते हुए निम्नलिखित खुली निविदा सूचना आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता फर्म अपने तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव सील बंद एकल लिफाफे में इस कार्यालय में जमा करा सकते हैं-

क्र. सं.	निविदा का विषय	आवेदनकर्ता/ निविदादाता का प्रकार	अनुमानित राशि	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा प्रपत्र विक्रय की तिथि	निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	निविदा प्रपत्र खोले जाने की तिथि
1.	स्टेशनरी व प्राइज़	प्रो. फर्म/फर्म	400000/-	8000/-	200/-	09.09.22 प्रातः 11 बजे से	15.09.22 सांय 3 बजे तक	15.09.22 सांय 3.30 बजे

अधिक जानकारी एवं निविदा प्रपत्र कार्यालय समय में उपस्थित होकर निर्धारित अवधि के दौरान प्राप्त कर सकते हैं। शर्तें-

- धरोहर राशि का डीडी/चैक "जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति-खंड भींडर" के नाम से देय होगा।
- चयनित निविदादाता द्वारा कार्यानुसार कार्यदिश प्राप्त होने के 3 दिवस में अतिरिक्त धरोहर राशि 3% "जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति-खंड भींडर" के नाम से कार्यालय में जमा करने होंगे।
- निविदा निहित प्रारूप में स्वीकार की जाएगी जोकि कार्यालय द्वारा निविदा शुल्क प्राप्त होने पर देय होगा।
- निविदा निर्धारित समय व दिनांक पर उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय द्वारा गठित कमेटी द्वारा खोली जाएगी।
- न्यूनतम दर को चयनित करने हेतु कार्यालय द्वारा गठित कमेटी बाध्य नहीं होगी।
- निविदा चयन में अंतिम निर्णय अघोहस्ताक्षरकर्ता का होगा जो सभी को मान्य होगा।
- निविदा में निविदा या निविदा के किसी भी भाग को बिना कारण बताए निरस्त करने को पूर्ण अधिकार अघोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
- निविदा वित्तीय वर्ष 2022-23 बाबत है जिसकी अवधि को आगे बढ़ाया/घटाया जाने का पूर्ण अधिकार कमेटी के पास होगा। साथ ही वर्ष दौरान अनुमानित राशि भी कार्यानुसार कम/अधिक हो सकती है।
- संलग्नक-निविदा दाता द्वारा अपने निविदा लिफाफे में निविदा प्रपत्र निर्धारित प्रारूप में मय पेन कार्ड की प्रति एवं जीएसटी दायरे में होने पर जीएसटी प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जाना है।

खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी भींडर जिला उदयपुर (राज.)

सुविधि प्राणी शास्त्र विभाग की प्रयोगशाला में शोध कार्य शुरू

उदयपुर, (कासं)। सुविधि प्राणी शास्त्र विभाग की जनस्वास्थ्य किटविज्ञान प्रयोगशाला में जर्मनी से डॉ थॉमस, यूके से डॉ लेना, आइसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक डॉ घोष एवं आईआईटी कानपुर के शोधार्थी कार्तिक ने अपना शोध कार्य प्रारंभ किया।



सुविधि प्राणी शास्त्र विभाग की प्रयोगशाला में जर्मनी, यूके एवं आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने शोध कार्य शुरू किया।

विभागाध्यक्ष एवं प्रयोगशाला इंचार्ज प्रो आरती प्रसाद ने बताया कि गत जुलाई में विभाग द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन से जनस्वास्थ्य किटविज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के मध्य प्राणी शास्त्र विभाग ने एक अभूतपूर्व पहचान कायम की है जिससे विभाग के कार्यों की कौती अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचे एवं उन्होंने विभाग के कार्यों को सराहा। इसी से प्रभावित होकर अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों का यह दल विभाग में शोध कार्य करने हेतु आया हुआ है। प्रो प्रसाद ने बताया कि यह दल 5 सितम्बर को उदयपुर पहुंचा एवं उन्होंने उस दिन राजकीय अवकाश होने के कारण प्रो प्रसाद से व्यक्तिगत मुलाकात कर विभाग में चल रहे कार्यों पर चर्चा की। दूसरे दिन 6 सितम्बर को दल ने विभाग का दौरा कर विभाग में चल रहे कार्यों के

बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने विभाग के शिक्षकों से संवाद कर विभाग के साथ साझे में किए जा सकने वाले कार्यों पर मंथन किया। तत्पश्चात दल ने विज्ञान महाविद्यालय अधिष्ठाता प्रो सी पी जैन से मुलाकात की।

दौर के तीसरे दिन 7 सितम्बर को दल ने विभाग के शोधार्थियों के साथ उदयपुर शहर के आस पास के गांवों में मलेरिया रोगवाहक एनोफिलीज मच्छर का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने उदयपुर में पायी जाने वाली मच्छरों की प्रजातियों, उनकी रोकथाम के प्राकृतिक तरीके तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा रोगवाहक मच्छरों की रोकथाम हेतु किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी एकत्रित की। प्रो प्रसाद ने बताया कि ये वैज्ञानिक मुख्यतया मलेरिया रोग के मुख्य वाहक मच्छर एनोफिलीज स्टीफेसाइ के हाइड्रोकार्बन पर शोध कार्य करने हेतु प्राणी शास्त्र विभाग में आए हैं। यह दल 10 सितम्बर तक उदयपुर में अपना शोध कार्य करेगा।

पेसिफिक में एम.बी.ए. बैच का इन्डक्शन कार्यक्रम

उदयपुर, (कासं)। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि छात्र-छात्राएँ अध्ययन के दौरान एवं पास होने के बाद भी अपने लक्ष्य पर अपना फोकस रखें और सम्पूर्ण समर्पण से अपना कार्य करें।

पेसिफिक विवि के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट कि डी प्रो. महिमा बिडला ने नवीन एम.बी.ए. बैच के लिए आयोजित इन्डक्शन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए कहा कि छात्रों को चाहिए कि वे सत्र के दौरान पढ़ाए जा रहे सैद्धांतिक पठन-पाठन को व्यावहारिक धरातल पर आजमाएँ एवं कोर्स के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली जानकारी का भरपूर सदुपयोग करें। उन्होंने कहा कि आधुनिक प्रबंध को चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पेसिफिक महाविद्यालय में प्रबंध अध्ययन को अत्यंत सामयिक एवं व्यावहारिक बनाया गया है।

उद्घाटन सत्र में पेसिफिक विवि के प्रेसीडेंट प्रो. के.के. दवे ने विद्यार्थियों को पेसिफिक विश्वविद्यालय परिवार में सम्मिलित होने पर बधाई दी एवं विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में हम विद्यार्थियों के करियर प्रोस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संगठन जैसे एन.एस.ई., उग्रोड, एमएमएम आदि से मिलकर संवर्ग विकास पर फोकस करेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं सही मार्गदर्शन के सानिध्य में मैनेजमेंट के विद्यार्थियों का विश्व की अग्रणी कम्पनियों में रोजगार के पर्याप्त अवसर होंगे एवं विद्यार्थियों के कैम्पस लाइफ को इंजाय करते हुए अपनी पर्सनैलिटी डवलपमेंट पर फोकस करें।

आप भी इस संकल्प को पूरा करने में दें अपना योगदान सही समय पर करें अग्रिम कर का भुगतान

15 सितम्बर, 2022

तक अपने अग्रिम कर की दूसरी किस्त का भुगतान करें।

अग्रिम कर के भुगतान के लिए दायी करदाता

- वेतनभोगी कर्मचारी सहित, कोई भी निर्धारित, जिसके स्रोत पर काटे गए / संग्रहित किए गए कर के पश्चात, वित्तीय वर्ष के लिए करदेयता ₹10000/- या इससे अधिक है।
- ऐसे निवासी वरिष्ठ नागरिक, जिन्हें कारोबार/व्यवसाय से आय नहीं है, वे भुगतान के लिए दायी नहीं हैं।

भुगतान का तरीका

- सभी कॉरपोरेट्स तथा ऐसे निर्धारित जिनके खातों की आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44AB के तहत लेखा परीक्षा की जानी अपेक्षित है, के लिए ई-भुगतान अनिवार्य है।
- ई-भुगतान अन्य करदाताओं के लिए भी सुविधाजनक है क्योंकि यह सही क्रेडिट सुनिश्चित करता है।

अग्रिम कर के भुगतान की अनुसूची

देय तिथि	राशि
(क) 15 जून, 2022 को या उससे पहले	देय अग्रिम कर का 15%
(ख) 15 सितम्बर, 2022 को या उससे पहले	देय अग्रिम कर का 45%
(ग) 15 दिसम्बर, 2022 को या उससे पहले	देय अग्रिम कर का 75%
(घ) 15 मार्च, 2023 को या उससे पहले	देय अग्रिम कर का 100%

अग्रिम कर का कम भुगतान करने पर/भुगतान न करने पर या विलम्ब से भुगतान करने पर ब्याज देय होगा।

आयकर विभाग केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं

HRIDAY CREDIT CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED, UDAIPUR

NOTICE: ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 15th Annual General Meeting of the Hriday Credit Co-operative Society Limited will be held on Saturday, 24th September, 2022 at 11:00 A.M. at Hamer Kothi, Badi Hawala Road, Bari, Udaipur Rajasthan to transact the following business concerning the society:

AGENDA

- To grant leave of absence to those members of the society who have not attended the General Meeting.
- To Read and confirm the Minutes of Last Annual General Meeting.
- To approve Annual Report and Audited Statement of Accounts for the year ended 31st March 2022.
- To appropriate Net Profit for the year ended 31st March 2022.
- To Approve proposed Annual Budget for Income & Expenditure for F.Y. 2022-2023.
- To Appoint Statutory Auditor and fix its remuneration for the F.Y. 2022-2023.
- List of employees who are relatives of members of the board or of the Chief Executive.
- Disposal of any other business with the permission of Chairman.

Place: Udaipur
Date: 09th September, 2022

For: Hriday Credit Co-operative Society Ltd.
By order of the Board of Directors
Rajesh Jain
(Secretary)

Note for Member's Attention:

- If there is no quorum for the meeting at the appointed time, in terms of Bye-Laws no. 31, the meeting shall stand adjourned to 12:00 PM on the same day and the Agenda of the Meeting shall be transacted at the same venue irrespective of the Rules of Quorum.
- Anyone who desires to move any resolution may please send the same in duplicate on or before 20th September, 2022 by 04:00 PM at the Head Office of the society.
- Any Query pertaining to accounts may please be sent to the office of the society at least four working days before the date of Annual General Meeting.
- The Annual General Meeting will be conducted taking into account the COVID-19 measures.

Member's Identity Card & wearing Mask is must for the attendance in Annual General Meeting.

75 आज़ादी का अमृत महोत्सव

आज़ादी के इस अमृत काल में विकसित भारत बनाने का हर देशवासी का है प्रण

आप भी इस संकल्प को पूरा करने में दें अपना योगदान सही समय पर करें अग्रिम कर का भुगतान

15 सितम्बर, 2022

तक अपने अग्रिम कर की दूसरी किस्त का भुगतान करें।

अग्रिम कर के भुगतान के लिए दायी करदाता

- वेतनभोगी कर्मचारी सहित, कोई भी निर्धारित, जिसके स्रोत पर काटे गए / संग्रहित किए गए कर के पश्चात, वित्तीय वर्ष के लिए करदेयता ₹10000/- या इससे अधिक है।
- ऐसे निवासी वरिष्ठ नागरिक, जिन्हें कारोबार/व्यवसाय से आय नहीं है, वे भुगतान के लिए दायी नहीं हैं।

भुगतान का तरीका

- सभी कॉरपोरेट्स तथा ऐसे निर्धारित जिनके खातों की आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44AB के तहत लेखा परीक्षा की जानी अपेक्षित है, के लिए ई-भुगतान अनिवार्य है।
- ई-भुगतान अन्य करदाताओं के लिए भी सुविधाजनक है क्योंकि यह सही क्रेडिट सुनिश्चित करता है।

अग्रिम कर के भुगतान की अनुसूची

देय तिथि	राशि
(क) 15 जून, 2022 को या उससे पहले	देय अग्रिम कर का 15%
(ख) 15 सितम्बर, 2022 को या उससे पहले	देय अग्रिम कर का 45%
(ग) 15 दिसम्बर, 2022 को या उससे पहले	देय अग्रिम कर का 75%
(घ) 15 मार्च, 2023 को या उससे पहले	देय अग्रिम कर का 100%

अग्रिम कर का कम भुगतान करने पर/भुगतान न करने पर या विलम्ब से भुगतान करने पर ब्याज देय होगा।

आयकर विभाग केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं